INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP03015101318073P
Certificate Issued Date	:	23-Mar-2017 05:41 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ QAISERBAGH/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL0103614208124763P
Purchased by	:	GARV BUILDTECH PVT LTD
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	KHASRA NO.3165 MI. 2974 MI AND OTHERS VILL-KALLIPASCHIM PARGANA-BIJNORE TEH-SAROJNI NAGAR, LKO.
Consideration Price (Rs.)	:	2,74,56,000 (Two Crore Seventy Four Lakh Fifty Six Thousand only)
First Party	:	CHARAN SINGH SON OF VIJAYPAL SINGH
Second Party	:	GARV BUILDTECH PVT LTD
Stamp Duty Paid By	:	GARV BUILDTECH PVT LTD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	19,23,000 (Ninteen Lakh Twenty Three Thousand only)

LOCKED SROI LUCKNOW

---------------------------------Please write or type below this line---------------------------------

बृजेश कुमार पाण्डेय
एडवोकेट
सदर तहसील, लखनऊ

Garv Buildtech Pvt. Ltd.

VO 0006728509

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

भाग 1

| प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला |

उप निबन्धक(प्रथम) कम सं0 8767

लखनऊ

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 24-Mar-2017

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम गर्व बिल्डटेक प्रा0लि0द्वारा अधि0ह0 अशोक कुमार

लेख का प्रकार विक्रय पत्र

प्रतिफल की धनराशि 27,456,000. / 27,456,000.0(

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 20,000.0
2. प्रतिलिपिकरण शुल्क 80
3. निरीक्षण या तलाश शुल्क
4. मुख्तारनामा के अधिप्रमाणी करण के लिए शुल्क
5. कमीशन शुल्क
6. विविधि
7. यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 20,080.0

शुल्क वसूल करने का दिनांक 24-Mar-2017

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार किया 24-Mar-2017

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर _____

(2)

विक्रय मूल्य रू0 - 2,74,56,000/-

मालियत रू0 - 2,74,56,000/-

जनरल स्टाम्प रू0 - 19,23,000/-

परगना - बिजनौर

-: लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण :-

भूमि का प्रकार	:	कृषि आराजी
परगना	:	बिजनौर
ग्राम	:	कल्ली पश्चिम
सम्पत्ति सं0	:	खसरा संख्या - 3165मि0, 2974मि0, 3242मि0, 3288स, 3241मि0, 2435मि0, 2354मि0, 2354मि0 का सम्पूर्ण भाग
मापन की इकाई	:	हेक्टेयर
सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	2.288 हेक्टेयर
सड़क की स्थिति	:	रायबरेली रोड से 2 किलोमीटर से भी अधिक दूर हैं।
सम्पत्ति का प्रकार	:	कृषि आराजी

Garv Buildtech Pvt. Ltd.

चौहद्दी खसरा सं0- 3165मि0

पूरब : खसरा सं0 - 3165 का शेष भाग

पश्चिम : खसरा सं0 - 3165 का शेष भाग

उत्तर : खसरा सं0 - 3165 का शेष भाग

दक्षिण : खसरा सं0 - 3165 का शेष भाग

चौहद्दी खसरा सं0- 2974मि0

पूरब : खसरा सं0 - 3080

पश्चिम : खसरा सं0 - 2974 का शेष भाग

उत्तर : खसरा सं0 - 2847, 2974 का शेष भाग

दक्षिण : खसरा सं0 - 2974 का शेष भाग

चौहद्दी खसरा सं0- 3242मि0

पूरब : खसरा सं0 - 3242 का शेष भाग

पश्चिम : खसरा सं0 - 3242 का शेष भाग

उत्तर : खसरा सं0 - 3242 का शेष भाग

दक्षिण : खसरा सं0 - 3242 का शेष भाग

चौहद्दी खसरा सं0- 3288स

पूरब : खसरा सं0 - 3288 का शेष भाग

पश्चिम : खसरा सं0 - 3288 का शेष भाग

उत्तर : खसरा सं0 - 3288 का शेष भाग

दक्षिण : खसरा सं0 - 3288 का शेष भाग

Gary Buildtech Pvt. Ltd.

चौहद्दी खसरा सं0- 3241मि0

पूरब	:	खसरा सं0 - 3241 का शेष भाग
पश्चिम	:	खसरा सं0 - 3241 का शेष भाग
उत्तर	:	खसरा सं0 - 3241 का शेष भाग
दक्षिण	:	खसरा सं0 - 3241 का शेष भाग

चौहद्दी खसरा सं0- 2435मि0

पूरब	:	खसरा सं0 - 2435 का शेष भाग
पश्चिम	:	खसरा सं0 - 2435 का शेष भाग
उत्तर	:	खसरा सं0 - 2435 का शेष भाग
दक्षिण	:	खसरा सं0 - 2435 का शेष भाग

चौहद्दी खसरा सं0- 2354मि0

पूरब	:	खसरा सं0 - 2354 का शेष भाग
पश्चिम	:	खसरा सं0 - 2354 का शेष भाग
उत्तर	:	खसरा सं0 - 2354 का शेष भाग
दक्षिण	:	खसरा सं0 - 2354 का शेष भाग

विक्रेता का विवरणः-

चरन सिंह पुत्र श्री विजयपाल सिंह, निवासी - ग्राम जनकपुरी , तहसील - माँट व जिला - मथुरा (उत्तर प्रदेश) ।

.....विक्रेता/प्रथम पक्ष

Gary Buildtech Pvt. Ltd.

क्रेता का विवरणः-

गर्व बिल्डटेक प्रा0 लि0 (PAN NO.- AADCG1919Q) कार्यालय-10, एल0एस0सी0, कालका जी, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री अशोक कुमार उपाध्याय पुत्र स्व0 श्री पारस नाथ उपाध्याय, निवासी- 7, एल0एस0सी0, कालका जी, नई दिल्ली ।

.....**क्रेता/द्वितीय पक्ष**

विक्रय - विलेख

मनकि चरन सिंह पुत्र श्री विजयपाल सिंह, निवासी - ग्राम जनकपुरी , तहसील - माँट व जिला - मथुरा (उत्तर प्रदेश) का (विक्रेता) है।

जो कि भूमि **खाता सं0 - 1427 के** खसरा सं0 - 3165मि0 रकबा 0.4040 हे0 व **खाता सं0 - 1503 के** खसरा सं0 - 2974मि0 रकबा 0.4040 हे0 व **खाता सं0 - 1488 के** खसरा सं0 - 3242मि0 रकबा 0.1900 हे0, खसरा सं0 - 3288स रकबा 0.2150 हे0 व **खाता सं0 - 1493 के** खसरा सं0 - 3241मि0 रकबा 0.3160 हे0 व **खाता सं0 - 1452 के** खसरा सं0 - 2435मि0 रकबा 0.2530 हे0 व **खाता सं0 - 1464 के** खसरा सं0 - 2354मि0 रकबा 0.2530 हे0 व **खाता सं0 - 1413 के** खसरा सं0 - 2354मि0 रकबा 0.2530 हे0 का सम्पूर्ण भाग **इस प्रकार कुल विक्रीत रकबा- 2.2880 हे0** स्थित ग्राम कल्ली पश्चिम, परगना-बिजनौर, तहसील- सरोजनीनगर व जिला लखनऊ, जिसका कि विक्रेता उपरोक्त मालिक कामिल व काबिज है। उक्त भूमि विक्रेता ने जरिये बयनामा क्रय किया था जिसका दाखिल ख़ारिज हो चुका है तथा

Garv Buildtech Pvt. Ltd.

राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधरी में विक्रेता का नाम दर्ज है । विक्रेता को जिलाधिकारी लखनऊ के **पत्रांक सं0-168/डी0एल0आर0सी /16 के आदेश दिनांक 03.11.2016 व संशोधित पत्रांक सं0-168(1)/डी0एल0आर0सी /16 के आदेश दिनांक 30.12.2016** द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न मे0 **गर्व बिल्डटेक प्रा0 लि0** कार्यालय-10, एल0एस0सी0, कालका जी नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री अशोक कुमार उपाध्याय पुत्र स्व0 श्री पारस नाथ उपाध्याय के पक्ष में विक्रय करने का अधिकार प्राप्त है। उक्त आराजी समस्त प्रकार के भारों व विवादों अजकिस्म रेहन, बय, हिबा, जमानत, कुर्की, मुकदमा आदि से पूर्णतया बरी व पाक-साफ है जिसको विक्रय आदि करने का विक्रेता को मालिकाना हक हासिल हैं ।

अब विक्रेता ने बजरूरत खुद खूब सोच व समझ कर प्रसन्न चित्त मन से बिना किसी जोर दबाव नाजायज के अपने पूर्ण होशो-हवास में उसी आराजी को बिलएवज मुबलिग रू0 2,74,56,000/- (दो करोड़ चौहत्तर लाख छप्पन हजार रूपये) जिसके आधे मुबलिग रू0 1,37,28,000/- (एक करोड़ सैतीस लाख अट्ठाईस हजार रूपये) होते है, में बदस्त केता **"गर्व बिल्डटेक प्रा0 लि0"** कार्यालय-10, एल0एस0सी0 कालका जी, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री अशोक कुमार उपाध्याय पुत्र स्व0 श्री पारस नाथ उपाध्याय को बय-फरोख्त कत्तई किया यानी बेच दिया और कुल विक्रय धनराशि अन्त में दिये गये विवरण के अनुसार केता से वसूल पाकर कब्जा व दखल मालिकाना आराजी विक्रयशुदा पर आज से बजाय अपने केता का बखूबी करा दिया।

अब विक्रेता या उनके वारिसान व कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा विकीशुदा आराजी में शेष नही रहा। अगर कोई दीगर शख्स अपना हक या दावा करे

तो दावा उसका बातिल व नाजायज करार दिया जावे और अगर किसी शख्स की दावेदारी या हकदारी या उज्रदारी से आराजी विक्रीशुदा केता के कब्जे से निकल जावे या कब्जा न रहे या मिल्कियत या हकीयत विक्रेता की करार न पाई जाय या अन्य किसी प्रकार से विवादित या भार ग्रसित पायी जाय तो ऐसी तमाम सूरतों में केता व उसके वारिसान व कायम मुकामान को हक हासिल होगा कि वह अपना कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा व खर्चा के विक्रेता या उनके वारिसान व कायम मुकामान की दीगर जायदाद चल व अचल से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवे, कोई उज्र नही होगा। विक्रीशुदा आराजी को केता सरकारी कागजात में अपने नाम दर्ज करवा लेवे, कोई उज्र नही होगा । विक्रीशुदा आराजी पर कोई पेड़, कुंआ, बोरिंग व निर्माण आदि नहीं है, कहीं-कहीं पर उबड़ खाबड़ व छोटे-बड़े गढ्ढे है। विक्रीशुदा आराजी मुख्य सड़क रायबरेली रोड़ से 2 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर स्थित है । विक्रीशुदा आराजी नगर निगम सीमा से बाहर स्थित है। आराजी मुबइया के 50 मीटर व 200 मीटर की त्रिज्या में कोई आबादी नहीं है।

विक्रीशुदा आराजी कृषि आराजी है जिसका कुल रकबा **2.2880 हेक्टेयर** है तथा जिसकी मालियत श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय लखनऊ द्वारा निर्धारित वर्तमान दर रूपये 1,20,00,000/- प्रति हे0 के हिसाब से कुल रू0 2,74,56,000/- होती हैं । मालियत मूल्य पर शासकीय शासनादेश संस्थागत वित, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 की अधिसूचना सं0-स.वि.क.नि.5-2756 /11-2008-500(165)/2007 दिनांक 30.06.2008 के अनुसार 7 प्रतिशत की दर से मु0 **रू0 19,23,000/-** का जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा हैं ।

विक्रेता अनुसूचित जाति व क्रेता सामान्य जाति के सदस्य हैं। विक्रेता व क्रेता का पता उपरोक्त ही है । विक्रीशुदा आराजी किसी राष्ट्रीय राजमार्ग, जनपदीय मार्ग व लिंक रोड के किनारे स्थित नहीं हैं।

प्रस्तुत लेखपत्र में उभय पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गए कागजात व उनके द्वारा बताये गए तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है जिसकी समस्त जिम्मेदारी पक्षकारों की है तथा पक्षकारों की पहचान गवाहो द्वारा की जा रही है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख अपनी खुशी व रजामन्दी से पूर्ण होशों हवाश में बिना किसी जोर दबाव के स्वस्थ्य मस्तिष्क के रूबरू गवाहन क्रेता उक्त के पक्ष में निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

विवरण भुगतान

1. रूपये 2,71,81,440/- (दो करोड़ एकहत्तर लाख इक्यासी हजार चार सौ चालीस रूपये) जरिये चेक संख्या - 091019 दिनांक 24.03.2017, जारीकर्ता बैंक - एक्सिस बैंक शाखा मालवीय नगर नई दिल्ली।
2. रूपये 2,74,560/- (दो लाख चौहत्तर हजार पांच सौ साठ रूपये) टी0डी0एस0 काट लिया है।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रूपये 2,74,56,000/- (दो करोड़ चौहत्तर लाख छप्पन हजार रूपये) विक्रेता ने क्रेता से समक्ष गवाहान प्राप्त कर लिया है । अब कुछ भी पाना शेष नही रहा है।

लखनऊ

दिनांक : 24.03.2017

ह0 विक्रेता

PAN - FAEPS 4003L

गवाहान :-

1. शरद चन्द्र श्रीवास्तव
पुत्र हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव
पता- मो0 ब्रम्हस्थान, जिला- आजमगढ

ह0 क्रेता

2. Pankaj Kr Pandey
S/o Late Dr Narayan Pandey
Bagbahar Ramgarh

टाईपकर्ता :-
(आकाश दीप वर्मा)
सदर तहसील, लखनऊ

मसविदाकर्ता:-
(ब्रजेश कुमार पाण्डेय)
एडवोकेट
सदर तहसील, लखनऊ
9415001452

मानचित्र

भूमि खसरा न0 – 3165मि0 स्थित ग्राम कल्ली पश्चिम परगना बिजनौर तहसील सरोजनी नगर व जिला लखनऊ ।

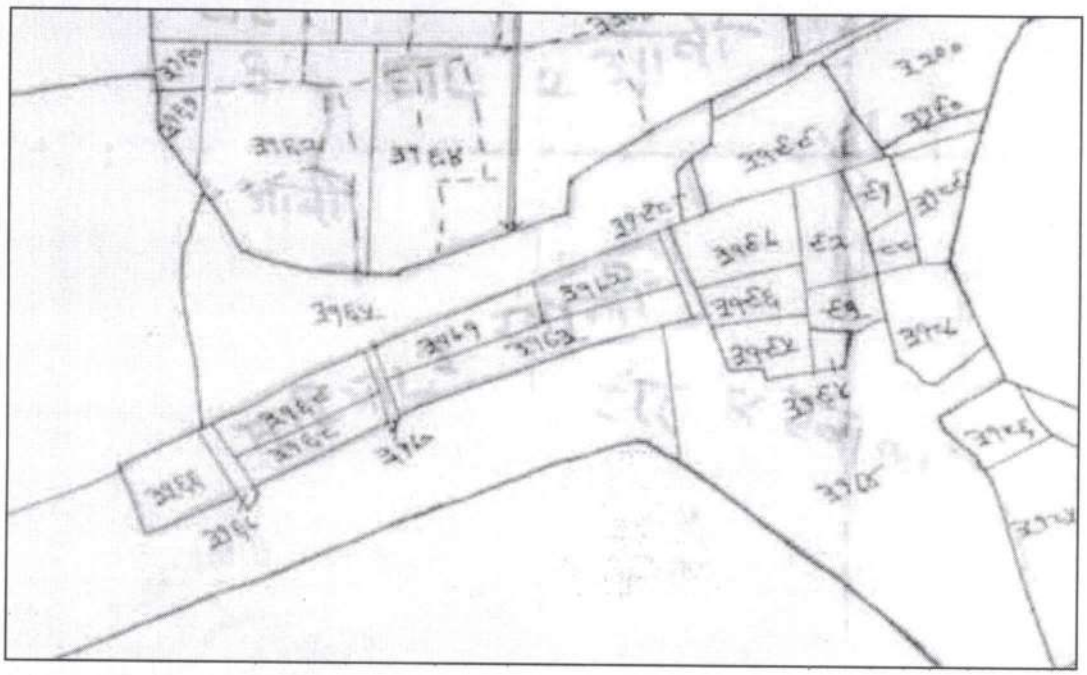

ह0 विक्रेता

ह0 क्रेता

मानचित्र

भूमि खसरा न0 – 2974मि0 स्थित ग्राम कल्ली पश्चिम परगना बिजनौर तहसील सरोजनी नगर व जिला लखनऊ ।

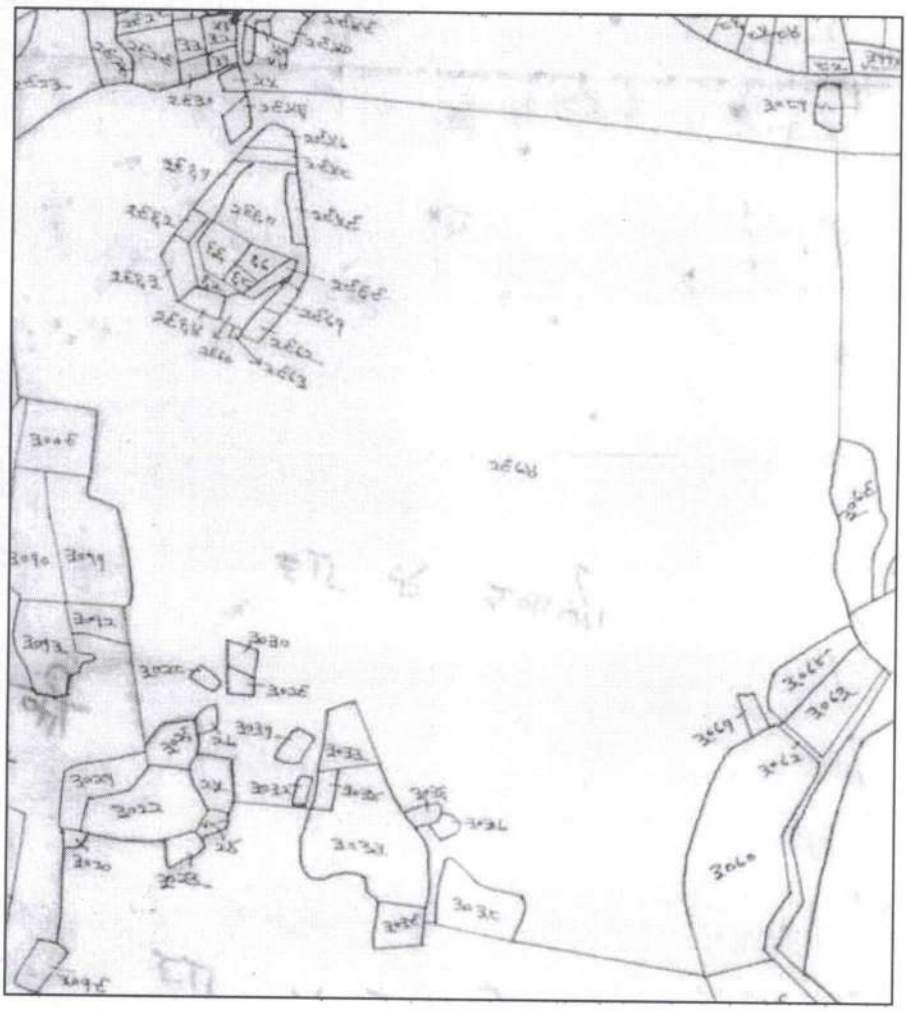

ह0 विक्रेता

ह0 केता

मानचित्र

भूमि खसरा न0 – 3288स, 3242मि0, 3241मि0 स्थित ग्राम कल्ली पश्चिम परगना बिजनौर तहसील सरोजनी नगर व जिला लखनऊ ।

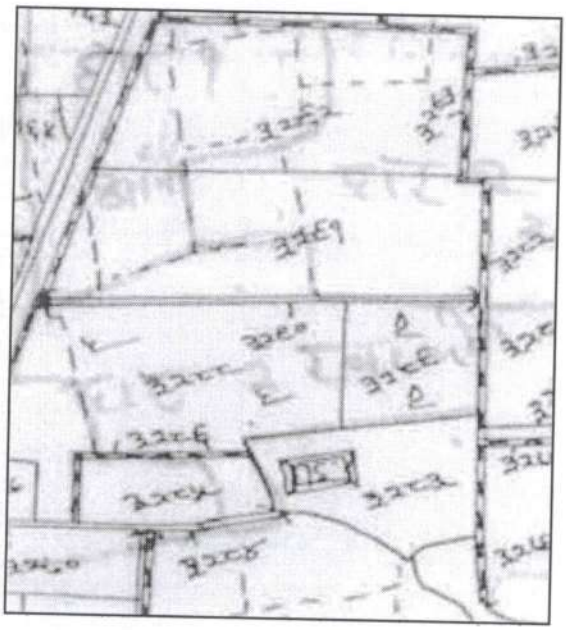

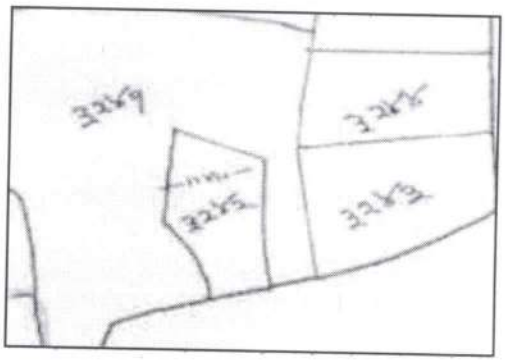

ह0 विकेता

ह0केता

मानचित्र

भूमि खसरा न0 – 2435मि0, 2354मि0 स्थित ग्राम कल्ली पश्चिम परगना बिजनौर तहसील सरोजनी नगर व जिला लखनऊ ।

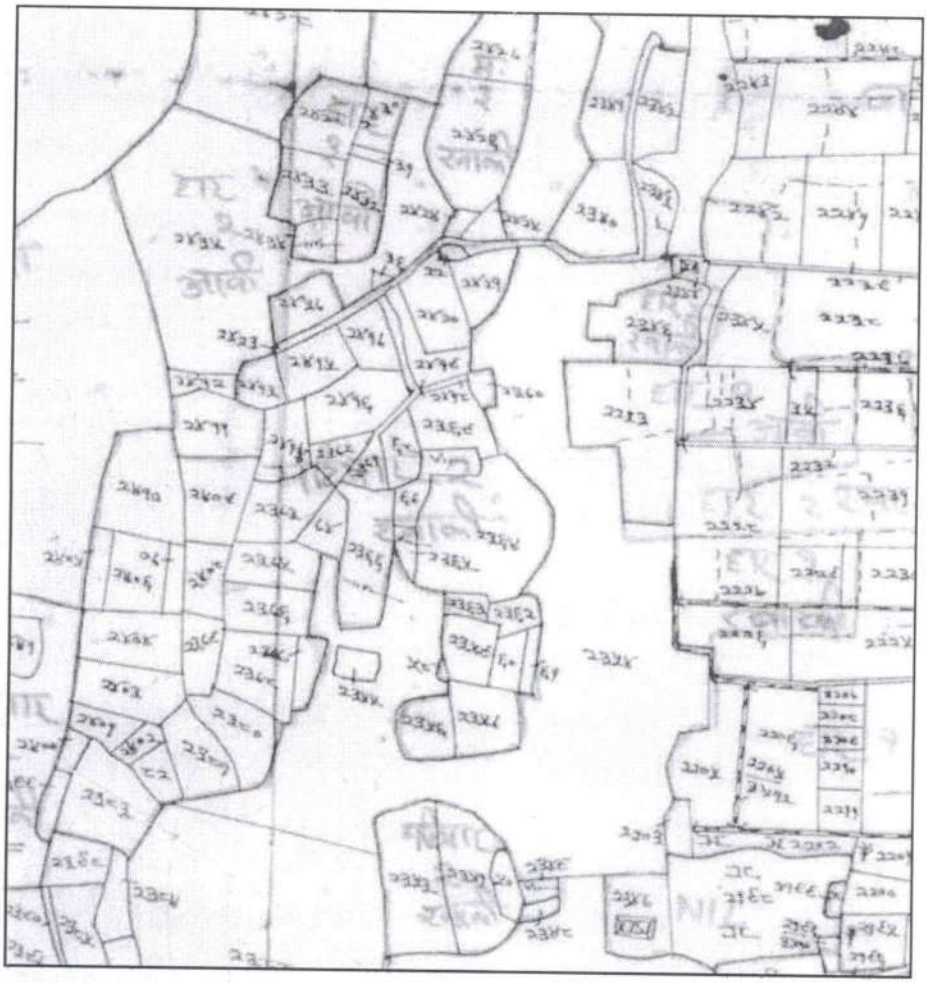

ह0 विक्रेता

ह0 क्रेता

आज दिनांक **24/03/2017** को

बही सं. **1** जिल्द सं. **22094**

पृष्ठ सं. **107** से **132** पर क्रमांक **3590**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस0 बी0 सिंह

उप निबन्धक(प्रथम)

लखनऊ

24/3/2017

H.No. : 25
Vill/Mohalla : Pratappur Sulempur
Tehsil : Kadipur
Dist. : Sultanpur

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
के हस्ताक्षर की अनुकृति
निर्वाचन क्षेत्र 128—कादीपुर (अ.जा.)
Facsimile Signature of
Electoral Registration Officer
for 128-Kadipur (S.C.) A.C.

स्थान : कादीपुर
Place : Kadipur

दिनांक
Date : 01/05/95

इस पत्र को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
This card can be used as an Identity Card under different Government Programmes.

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
पहचान पत्र
IDENTITY CARD
UP/26/128/393271

निर्वाचक का नाम : अशोक कुमार
Elector's Name : Ashok Kumar
पिता/माता/पति का नाम : पारस नाथ
Father's/Mother's/Husband's Name : Paras Nath
लिंग / Sex : पुरूष Male
1.1.1995 को आयु
Age as on 1.1.1995 : 31

भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र

ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD

TCI2282986

निर्वाचक का नाम :
शरद चन्द्र
Elector's Name :
SHARAD CHANDRA
पिता का नाम : हरिश्चन्द्र
Father's Name : HARISHCHANDRA
लिंग / Sex : पुरुष / Male
जन्मतिथि/ DOB : 03/06/1983

TCI2282986

पता - म.सं.79,
करतारपुर,
करतारपुर, थाना-कन्धरापुर,
तहसील-आजमगढ़ सदर, जिला-आज़मगढ़
पिनकोड -276001

Address- HNo.79,
KARTARPUR,
KARTARPUR, PS-KANDHRAPUR,
TEH-AZAMGARH SADAR, DIST-Azamgarh
Pincode-276001

Date : 25-12-2012

347 - आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति

Facsimile Signature of the Electoral Registration Officer for 347 - Azamgarh - Constituency

97/953

पता बदलने पर, नये पते पर अपना नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज करवाने तथा उस पते पर इसी नम्बर का कार्ड पाने के लिए सम्बंधित फार्म में यह कार्ड नम्बर अवश्य लिखें

In case of change in address, mention this Card No. in the relevant Form for including your name in the roll at the changed address and to obtain the card with the same number.

Shrivastava
9580795987

D.L. No. [illegible] Jaunpur

Name and designation of the Authority who conduct test

is Licensed to drive throughout India

Description

Motor Cycle with Gear/Without Gear

Auto Rickshaw

Light Motor Vehicle N.T/(Transport)

Tractor/Invalid Carriage/Road Roller

Medium Goods/Passenger Vehicle (Transport)

H.G.V./H.P.M.V. (Transport)

[illegible]

Licence is valid [illegible]

Licensing Authority

[illegible]

A1

0795333305

कार्यालय जिलाधिकारी लखनऊ।

संख्या 168(1)/डी0एल0आर0सी0/16 दिनांक:30-12-.2016

संशोधित आदेश

श्री चरन सिंह पुत्र श्री विजयपाल सिंह, निवासी– ग्राम जनकपुरी, तहसील– मॉट व जिला– मथुरा (उ0प्र0) के प्रार्थनापत्र दिनांक 5.12.2016/21.12.2016 के कम में पूर्व में जारी भूमि विकय अनुमति आदेश संख्या 168/डीएलआरसी/16 दिनांक 03.11.2016 में तीन माह का समय प्रदान किया जाता है, शेष आदेश पूर्ववत रहेगा। अनुमति निर्गत तिथि से तीन माह तक अनुमन्य होगी।

प्रभारी अधिकारी (भू0व्य0)
कृते जिलाधिकारी
लखनऊ।

प्रतिलिपिः–

1. श्री चरन सिंह पुत्र श्री विजयपाल सिंह, निवासी– ग्राम जनकपुरी, तहसील– मॉट व जिला– मथुरा (उ0प्र0)।
2. तहसीलदार, तहसील सरोजनीनगर, लखनऊ।
3. उप निबंधक तहसील सदर,लखनऊ ।

प्रभारी अधिकारी (भू0व्य0)
कृते जिलाधिकारी
लखनऊ।

कार्यालय जिलाधिकारी लखनऊ ।

संख्या 169 /डीएलआरसी/16 दिनांक 03-11- 2016

आदेश

श्री चरन सिंह पुत्र श्री विजयपाल सिंह, निवासी – ग्राम जनकपुरी , तहसील – मॉट व जिला –मथुरा (उ0प्र0) के अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति के भूमि विक्रय अनुमति प्रार्थनापत्र दिनांक 25.06.2016 पर उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर लखनऊ से प्राप्त जाँच आख्या दिनांक 14.10.2016 के क्रम में अपर कलेक्टर के अनुमोदन दिनांक 27.10.2016 द्वारा श्री चरन सिंह पुत्र श्री विजयपाल सिंह, निवासी – ग्राम जनकपुरी , तहसील – मॉट व जिला – मथुरा (उ0प्र0) को ग्राम कल्ली पश्चिम परगना बिजनौर तहसील सरोजनी नगर जिला लखनऊ स्थित गाटा संख्या 2438मि/0.1510, 2439मि/0.2530, 2974मि/0.4040, 2241/0.1610, 3165मि/0.4040, 2974मि/0.4040, 3242मि/0.1900, 3288स/0.2150, 3241मि/0.3160, 2435मि/0.2530, 2354मि/0.2530, 2354मि/0.2530 एवं ग्राम माती परगना बिजनौर तहसील सरोजनी नगर व जिला लखनऊ के नाम गाटा संख्या 1563/0.0229, 1015स/0.0111, 1090/0.0248, 1091/0.0064, 1095स/0.0316, 1099स/0.0285, 1100/0.0026, 1102/0.0058, 1103/0.0016, 1109स/0.0155, 1127/0.0174, 879/0.0346, 880/0.0068, 1896/0.0885 इस प्रकार कुल 4.6535हे0 भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति मेसर्स मार्क बिल्डटेक प्रा0लि0 कार्यालय 10, एल0एस0सी0 कालका जी, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री अशोक कुमार उपाध्याय पुत्र स्व0 पारसनाथ उपाध्याय, निवासी–7, एल0एस0सी0 कालका जी, नई दिल्ली के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1–विक्रीत भूमि के स्वत्व/कब्जे के सम्बन्ध में यदि कोई वाद/स्थगन है तो वह प्रभावी रहेगा,यदि कोई तथ्य छिपाकर अनुमति हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है संज्ञान में आता है तो तत्कम में यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। और आवेदक एवं क्रेता के विरूद्व विधि के अनुरूप सुसंगत कार्यवाही की जायेगी।

2–उ0प्र0राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 99 के प्रस्तर 8(ड़) में उल्लिखित है कि जहां विक्रय द्वारा अन्तरण के लिए अनुज्ञा की मांग की जा रही है,भूमि के अंतरण हेतु प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के अनुसार आगणित रकम से कम भुगतान न करना होगा,विक्रेता को मूल्य देयता के संबंध में साक्ष्य स्वरूप विक्रय विलेख निष्पादन के एक सप्ताह के अन्दर विक्रय विलेख की एक प्रति कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी,अन्यथा विक्रय अनुमति निरस्त समझी जायेगी,विक्रय विलेख तथा अन्तरण शून्य माना जायेगा,और तदनुसार राजस्व संहिता में दिये गये प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3–उक्त विक्रय अनुमति निर्गत तिथि से एक माह तक अनुमन्य होगी।

प्रभारी अधिकारी (भू0व्य0)
कृते जिलाधिकारी
लखनऊ।

प्रतिलिपि–

1–श्री चरन सिंह पुत्र श्री विजयपाल सिंह, निवासी –ग्राम जनकपुरी ,तहसील–मॉट व जिला–मथुरा (उ0प्र0)
2–तहसीलदार सरोजनीनगर,लखनऊ।
3–उप निबन्धक, तहसील सदर,लखनऊ।

प्रभारी अधिकारी (भू0व्य0)
कृते जिलाधिकारी
लखनऊ।

प्रारूप–2

कार्यालय उपजिलाधिकारी मॉट, मथुरा

संख्या– 1420 8200320 दिनांक – 29.9.08

सक्षम अधिकारी / जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त सामान्य निवास प्रमाण पत्र

तहसीलदार मॉट की जॉच आख्या दिनांक 29-9-08 के आधार पर

एतदद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि

श्री / श्रीमती / कुमारी चरन सिंह

पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी विजयपाल सिंह

निवासी मकान नम्बर जनकपुर खण्ड [illegible]

ग्राम / मौहल्ला जनकपुर थाना मॉट

जनपद मथुरा उत्तर प्रदेश का / की निवासी

है व उनका वर्तमान पता उपरोक्त

है।

2. उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप–1 में आवेदक एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना तथा इससे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद का सामान्य निवासी होने (Ordinarily Resident) विषयक प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है।

दिनांक: 29-9-08

8858445623

हस्ताक्षर

उपजिलाधिकारी मॉट, मथुरा

जिलाधिकारी / सक्षम अधिकारी

का नाम व मुहर

(नोट: उपर्युक्त प्रमाण पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आदेवन करने के लिए ही केवल जारी किया गया है तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई संबंध नहीं है। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय दि सिटीजनशिप एक्ट–1955 में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्नचिन्ह हो अथवा इस पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अन्ततः भारत सरकार की विचारार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।)